

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 12/2021

बउनवान

आकिल आयु 45 वर्ष पुत्र अकबर खां, जाति मुसलमान, निवासी गूगल हेडी, तहसील बारां, जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०) (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 09.09.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 13.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम गूगल हेडी तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 680 रकबा 0.16 है., किस्म-सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 80/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 143 एवं 168/195, 142/168 अपीलांट के खाते की आराजी है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है, तथा उसी से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 142/168, खसरा नंबर 112/170, 680 स्थित है जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया गया है, जबकि अपीलांट का कब्जा सरकारी कुछ भूमि पर ही है, जिसका जुर्माना भी अपीलांट ने प्रतिवर्ष अदा किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को बिना मौका देखे तथा अन्य पडोसी की शहादत लिये बिना हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट अपनी निजी खाते की आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त कर रहा है, यदि अपीलांट अपने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर उपरोक्त आराजी 0.16 है. पर अतिक्रमी माना जावे तो भी अपीलांट अपने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर उपरोक्त आराजी को अपने नाम नियमन करवाने एवं खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2020 निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)



इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्च सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खाते की आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 412/168, खसरा नंबर 112/170, 680 स्थित है जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया गया है, जबकि अपीलांट का कब्जा सरकारी कुछ भूमि पर ही है। अपीलांट ने बिना मौका देखे तथा अन्य पडोसी की शहादत लिये बिना हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2020 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है। तथा अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान एवं स्वयं अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 790/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका जुर्माना भी अपीलांट प्रतिवर्ष जमा कराता रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 790/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 679/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज.)